लोक सभा सचिवालय
संदर्भ प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (रेफ) 2017/आईबी-1 जून 2017

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है तथा अपने सभी कृत्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से कार्य करता है।[1]

संविधान में उपबंध है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, किंतु वह संसद की किसी भी सभा अथवा किसी राज्य के विधानमंडल की सभा का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद की किसी सभा अथवा किसी राज्य के विधानमंडल की किसी सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सभा में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

यद्यपि राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है, तथापि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सभा में नहीं बैठता और न ही चर्चा में भाग लेता है। संसद से संबंधित अपने संवैधानिक कृत्यों के भाग के रूप में राष्ट्रपति समय-समय पर दोनों सभाओं को आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है और इसके साथ ही उसे लोक सभा विघटित करने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति, लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है।

राष्ट्रपति को संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में अथवा कोई अन्य संदेश संसद की किसी सभा को भेजने की शक्ति प्राप्त है। कतिपय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होने पर ही पुर:स्थापित किए जा सकते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है। इतना ही नहीं, जब दोनों सभाओं का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित करता है जिनका बल और प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पारित विधान का होता है। दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

[1] भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनेक उपबंध दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में महिला अभ्यर्थी

भारत के संविधान के प्रवृत्त होने के सत्तावन वर्ष बाद, 25 जुलाई, 2007 को एक नया इतिहास रचा गया जब श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनीं। श्रीमती पाटिल राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने वाली पांचवीं महिला थीं। इससे पहले श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी (1952), श्रीमती मनोहरा होल्कर (1967), श्रीमती फुरचरन कौर (1969) और श्रीमती लक्ष्मी सहगल (2002) ने राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ा था।[2]

किसी विधेयक पर दोनों सभाओं में मतभेद होने की दशा में राष्ट्रपति दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट रखवाता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद इस प्रश्न का विनिश्चय करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या विधिवत् रूप से निर्वाचित कोई सदस्य संविधान के किन्हीं उपबंधों के अनुसार सदस्यता के लिए निरर्हित हो गया है। इस मामले में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होता है।

अंतरिम राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त न रहे, संविधान के अनुच्छेद 380 में एक संक्रमणकालीन उपबंध किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि डोमिनियन ऑफ इंडिया की संविधान सभा उस समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी जब तक संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को अपने अध्यक्ष, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। वह 26 जनवरी, 1950 को इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन और 13 मई, 1952 को पदभार ग्रहण करने तक वह इस पद पर बने रहे।

[2] भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017, भारत निर्वाचन आयोग, पृष्ठ 14, 18, 19 और 33।

राष्ट्रपति की पदावधि

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है (1952 से भारत के राष्ट्रपतियों की सूची के लिए देखिए अनुबंध–एक)। तथापि, वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस उपबंध से किन्हीं अपूर्वदृष्ट परिस्थितियों के कारण निर्वाचन समय पर न होने की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सकता है।

संविधान में यह अपेक्षा भी है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण किया जाना चाहिए। तथापि, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने[3] या अन्य कारण से पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के रूप में उसके स्थान पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करेगा।

चूंकि राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की पांच वर्ष की पदावधि 24 जुलाई, 2017 को पूरी हो जाएगी, अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और परिणाम समय पर घोषित कर दिए जाएं ताकि नया राष्ट्रपति 25 जुलाई, 2017 को पद ग्रहण कर ले।

कार्यवाहक राष्ट्रपति

संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में भारत का उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है जो रिक्ति की तारीख से छह माह से अनधिक होगी। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्त्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता है। तथापि, संविधान में ऐसी स्थिति के लिए कोई उपबंध नहीं है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के पद रिक्त हों अथवा जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा उपराष्ट्रपति ऐसा करने में असमर्थ हो। इन्हीं परिस्थितियों के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उस तारीख तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिस तारीख तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्य किए जाने का एकमात्र दृष्टांत

1969 में राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद श्री वी.वी. गिरि ने 3 मई, 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए श्री वी.वी. गिरि, जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ने 20 जुलाई, 1969 को उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। पहली बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के पद रिक्त थे। ऐसे समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री एम. हिदायतुल्लाह ने तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। तत्पश्चात्, श्री वी.वी. गिरि निर्वाचित हुए और उन्होंने 24 अगस्त, 1969 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होता है[4]। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित है[5]।

निर्वाचन आयोग की भूमिका: निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश है कि भारत के राष्ट्रपति के पद, जो कि राष्ट्र का सर्वोच्च निर्वाचित पद है, हेतु निर्वाचन अबाध और निष्पक्ष होना चाहिए और आयोग अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के कार्यक्रम को दर्शाने वाली अधिसूचना जारी करता है।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका: परंपरानुसार लोक सभा के महासचिव अथवा राज्य सभा के महासचिव को बारी–बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2012 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। इसलिए 2017 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है[6]। लोक सभा सचिवालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिवों और एक और वरिष्ठ अधिकारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के साठ दिन पहले अधिसूचना जारी की जाती है। वर्तमान परिदृश्य में, इस अधिसूचना को 25 मई, 2017 के बाद किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इस अधिसूचना में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख; नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तारीख; नामांकन पत्रों को वापस लेने की तारीख; मतदान की तारीख; मतगणना की तारीख के बारे में विवरण होता है। राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए कार्यक्रम निर्धारित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

---

[3] संविधान के अनुच्छेद 56(ख) में यह उपबंधित है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। तथापि आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।

[4] संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, 7वां संस्करण, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर; पृष्ठ 45 ।

[5] प्रेस नोट, भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय, दिनांक 12 जून, 2012।

[6] भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017, भारत निर्वाचन आयोग।

राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने हेतु पात्रता

संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा यदि वह–

- भारत का नागरिक हो;
- पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो; तथा
- लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।

कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा[7]। तथापि कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किए हुए केवल इसीलिए नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

नामांकन पत्र दाखिल करना और निर्वाचकों की भूमिका

उपरोक्त पात्रता मानदंडों के अतिरिक्त, विहित प्रपत्र (1974 नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 2) में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्थापकों के रूप में कम-से-कम पचास निर्वाचकों के और समर्थकों के रूप में कम-से-कम पचास निर्वाचकों के हस्ताक्षर भी होंगे। नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से, या तो उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी के द्वारा, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी नामांकन पत्र, केवल इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिनों (बीच में आने वाले सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) पर ही पूर्वाह्न 11 बजे से मध्याह्न 3 बजे के बीच ही स्वीकार करेंगे।

कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि कोई निर्वाचक ऐसा करता है तो प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।

पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता

वर्तमान अथवा पूर्व राष्ट्रपति उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन कितनी बार किया जा सकता है, इस बारे में कोई विधिक सीमा नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 1957 में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पुनर्निर्वाचित हुए थे। दो बार राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं (1952-62)।

किसी उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ 15,000/- रुपये की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। यदि उम्मीदवार निर्वाचित न हुआ हो और उसे प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में उम्मीदवार के सफल चुनाव के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति

1977 में हुए सातवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन में कुल 37 उम्मीदवारों ने अपने नामनिर्देशन दाखिल किए। संवीक्षा करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 36 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिये, अतः नामांकन पत्र दाखिल करने वाले केवल एक वैध उम्मीदवार डॉ. नीलम संजीव रेड्डी ही मैदान में रह गये। उम्मीदवारी वापस लेने की निर्धारित तिथि अर्थात् 21 जुलाई, 1977 को अपराह्न 3 बजे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव परिणाम घोषित किया जिसमें डॉ. नीलम संजीव रेड्डी को उसी दिन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित किया गया हो।

वैध नामांकन हेतु अर्हताओं में परिवर्तन[8]

	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रस्थापकों की संख्या	1	10	50
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समर्थकों की संख्या	1	10	50
जमानत राशि (रुपयों में)[9]	0	2,500	15000

राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और

[7] नामांकन पत्रों की जांच के दिन, श्री पी.ए. संगमा, जो स्वयं 2012 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार थे, द्वारा एक आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जो कि एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की श्री प्रणव मुखर्जी की पात्रता के संबंध में थी जिसका आधार यह था कि वह 20 जून, 2012 को नामांकन पत्र दाखिल करते समय कथित रूप से दो लाभ के पदों (लोक सभा में सदन के नेता और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता की परिषद के अध्यक्ष के पद) पर आसीन थे। इस याचिका को तीन न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (सीजेआई) अल्तमस कबीर और न्यायमूर्तिगण पी. सदासिवम और सुरिंदर सिंह निज्जर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिन्होंने माना कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अध्यक्ष का पद लाभ या आर्थिक अभिलाभ सृजित करने वाला नहीं है और यह लाभ का पद नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी माना कि सभा में किसी दल के नेता के पद पर होना सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण किया जाना नहीं होता है। उनके द्वारा यह भी माना गया कि लाभ का पद माने जाने के लिए, पद के साथ विभिन्न आर्थिक लाभ जुड़े होने चाहिए या सरकारी आवास की या चालक सहित कार की व्यवस्था जैसे लाभों को सृजित करने की क्षमता होनी चाहिए।

[8] राष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में हुए चुनावों के अनुभवों से यह पता चलता है कि निर्वाचित होने की कोई आशा न होने पर भी कुछ उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए नामांकन पत्र भरे थे। चिंता का एक अन्य विषय यह भी था कि कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को बड़े ही हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय में चुनौती भी दी थी। इस प्रकार की खामियों को दूर करने के लिए वर्ष 1974 और 1997 में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम में संशोधन किए गए। स्रोत: संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, 7वां संस्करण, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, 2016, पृ.सं. 48-49

[9] तथापि यदि किसी अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र हैं, तो भी यह राशि एक ही बार जमा करनी होगी।

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे [संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सहित] (अनुच्छेद 54)। संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सहित राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण में शामिल होने के हकदार नहीं हैं।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 40 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन पतों सहित तैयार करनी होगी। सूची में राज्य सभा और लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के नाम इसी क्रम से दिये जायेंगे। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के सदस्यों के नाम निरंतर क्रम में वर्णक्रमानुसार रखे जायेंगे। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण की सूची खरीद हेतु आम जनता के लिए मई 2017 में उपलब्ध करा दी गई है।[10]

संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् पहली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते, राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु मतों के मूल्यों की गणना के लिए राज्यों की जनसंख्या का तात्पर्य 1971 की जनगणना से होगा।

सदस्य जो मतदान के पात्र नहीं हैं

ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन को रद्द करने संबंधी किसी न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ समय के लिए रोक लगायी गयी है, वे राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान के पात्र नहीं होंगे चाहे उनके नाम निर्वाचकगण में सम्मिलित ही क्यों न हों।

सचेतक का प्रयोग[11]

प्रधान मंत्री द्वारा सभी निर्वाचकों को लिखा गया पत्र कि वे राष्ट्रपति के पद के लिए उनके दल के अभ्यर्थी को मत दें और इसी प्रकार मुख्य सचेतक द्वारा संसद में उसके दल के सभी सदस्यों को लिखे गए पत्र कि वे दिल्ली आएं और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए उनसे संपर्क करें, को असम्यक् असर नहीं माना गया था।[12] इसके साथ ही, यह कहा गया कि यदि चुनाव अभियान के दौरान दल के सदस्यों से यह कहा जाता है कि वे केवल अपनी प्रथम वरीयता पर ही चिह्न लगाएं और अन्य किसी वरीयता पर चिह्न न लगाएं क्योंकि इस प्रणाली में मतदान एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है, अनुचित नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुरोध अथवा परामर्श निर्वाचन के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग को प्रभावित नहीं करता और निर्वाचक इस परामर्श के बावजूद भी अपनी इच्छानुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र होगा।[13]

[10] भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, 2017, भारत निर्वाचन आयोग।

[11] संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, 7वां संस्करण, 2016, पृ. 51

[12] इसके बावजूद भी वर्ष 1969 में निर्वाचन के अवसर पर, जब श्री एन. संजीव रेड्डी और श्री वी.वी. गिरि उम्मीदवार थे, प्रधान मंत्री ने मतदाताओं को पत्र लिखने से इंकार कर दिया था।

[13] बाबूराव पटेल बनाम डॉ. जाकिर हुसैन, ए.आई.आर. 1968, एस.सी. 904 ।

मतों के मूल्य संबंधी नियम

संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है कि जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है जैसा कि अनुबंध-दो में दिये गए विवरण से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 708 है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 208 है और सिक्किम का 7 है। इस प्रकार प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भिन्न-भिन्न है। प्रत्येक मत का मूल्य राज्य-वार और संसद के लिए बैलेट पेपर पर अलग-अलग दर्शाया जाता है।

राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो इस निर्वाचन में मत देने का हकदार है, के मतों की गणना के लिए संविधान में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर एक फॉर्मूला दिया गया है इस फार्मूले के अनुसार:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग लेने से आएं;

(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हों, तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी, जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत सम्पूर्ण मत संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।

विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य

विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है क्योंकि इसकी गणना राज्य की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। किसी राज्य की विधान सभा में प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है:-

आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना के आधार पर) : 2,78,00,586

विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या : 175

विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या : $\frac{2,78,00,586}{1000\times175}$

$= 158.8605$

$= 159$

प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सभी सदस्यों के मतों का कुल मूल्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरणत: 175×159 = 27,825 (आंध्र प्रदेश के संदर्भ में)।

संसद सदस्यों के मतों का मूल्य

संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या (लोक सभा 543+राज्य सभा 233) से विभाजित कर दिया जाता है।

सदस्य के मत का मूल्य

$$\text{प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

* प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य

निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या = लोक सभा (543) + राज्य सभा (233) = 776

सभी राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 5,49,495

प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य = $\frac{549495}{776}$ = 708

* 776 संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 708×776=5,49,408

कुल निर्वाचक तथा मतों का कुल मूल्य

वर्ष 2017 में राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में कुल सदस्यों की संख्या 4896 है जिसका विवरण इस प्रकार है—

सदन		सीटें
(क)	राज्य सभा	233
(ख)	लोक सभा	543
(ग)	राज्य विधान सभाएं	4120
	कुल	4896

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए 4896 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य =

5,49,495 (विधान सभा के सदस्यों का कुल मूल्य) + 5,49,408 (संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य) = 10,98,903

एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 17 में राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु मतदान की प्रक्रिया वर्णित है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। मतपत्र में कोई निर्वाचन चिह्न नहीं होता। मतपत्र में दो कॉलम होते हैं। मतपत्र के कॉलम 1 का शीर्षक है: 'अभ्यर्थी का नाम' और कॉलम 2 का शीर्षक है 'अधिमान क्रम चिह्नित करें'।

प्रत्येक निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। तथापि, कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं।

निर्वाचक अपना मत देते समय उस उम्मीदवार के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 और इसके अतिरिक्त अधिमान क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान, जितने वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर चिह्नित कर सकता है।

अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप या रोमन रूप या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में ही चिह्नित किये जाने चाहिये।

विधिमान्य मत सुनिश्चित करना

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के दौरान कुल 4659 मत पड़े जिनमें से 81 [15 (संसद सदस्य)+ 66 (विधान सभा सदस्य)] मतों को अविधिमान्य[14] घोषित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के उच्चतम पद के निर्वाचन में कोई मत अविधिमान्य न हो, निर्वाचकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:—

1. अधिमानों को शब्दों अर्थात् एक, दो, तीन में उपदर्शित न किया जाए क्योंकि इससे मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा।
2. मतपत्र उस स्थिति में भी अविधिमान्य माना जाएगा यदि उस पर अंक 1 चिह्नित न हो अथवा यह अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित हो।

मतदान के स्थान

नई दिल्ली में संसद भवन में एक कक्ष तथा सभी राज्य विधान सभा सचिवालयों में एक कक्ष को सामान्यतया मतदान के स्थान के रूप में नियत किया जाता है। संसद सदस्य सामान्यतया नई दिल्ली में मतदान करते हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं के सदस्यों सहित सभी राज्य विधान सभाओं के सदस्य सामान्यतया प्रत्येक राज्य की राजधानी में नियत स्थान पर मतदान करते हैं। तथापि आयोग संसद सदस्य के लिए अपने राज्य की राजधानी में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है और इसी तरह यदि किसी राज्य विधान सभा का कोई सदस्य मतदान की तारीख को दिल्ली में उपस्थित हो तो उसे संसद भवन[15] में स्थापित मतदान केन्द्र में मतदान करने की सुविधा दी जाती है। किन्तु जहां किसी सदस्य द्वारा मतदान किया जाना हो, उससे अन्यत्र किसी स्थान पर मतदान करने के आशय की सूचना निर्वाचन आयोग को उचित समय के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

[14] राज्य सभा के पटल कार्यालय से प्राप्त सूचना।

[15] 1969 में पांचवें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहली बार कुछ उपयुक्त मामलों में कुछ विधान सभा सदस्यों को अपने राज्य की राजधानी की बजाए नई दिल्ली में संसद भवन में मतदान करने की अनुमति दी गई थी।

निर्वाचन के लिए कोटा

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों के मूल्य की गणना करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर प्राप्त विधिमान्य मतों के मूल्य का जोड़ करता है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को कुल विधिमान्य मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों का योग 1,00,001 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा:

$$\frac{1,00,001}{2}+1=50000.50+1$$ (.50 को छोड़ दिया जाए)

कोटा = 50,000 + 1 = 50,001

कोटा तय करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर को यह देखना होता है कि किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित होने का कोटा प्राप्त कर लिया है। यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरंभ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को शेष अभ्यर्थियों के मतपत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के आधार पर उसमें वितरित कर दिया जाता है। अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को उस मूल्य पर ही प्राप्त करते हैं जिस पर वह उस गणना के पहले दौर में प्राप्त करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर गणना के बाद वाले दौरों में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है और वह उसे निर्वाचित[16] घोषित कर देता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन पर विवाद

राष्ट्रपति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली याचिका ऐसे निर्वाचन में शामिल किसी उम्मीदवार द्वारा अथवा बीस या बीस से अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। निर्वाचन संबंधी याचिका निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की घोषणा के सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[16]1969 में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले दौर में किसी भी अभ्यर्थी को अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। उस वर्ष निर्वाचन के लिए 4,18,169 मतों का कोटा निर्धारित किया गया था। चूंकि पहले दौर में किसी भी अभ्यर्थी को अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था अत: अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित किया गया जब तक केवल दो अभ्यर्थी नामत: श्री वी.वी. गिरि (4,20,077 मत) और डॉ. नीलम संजीव रेड्डी (4,05,427 मत) मैदान में शेष नहीं रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपेक्षित कोटा प्राप्त करने वाले श्री वी.वी. गिरि को निर्वाचित घोषित किया।

उल्लेखनीय निर्णय

मत देने के लिए निरर्हित सदस्यों की पात्रता

दल-बदल रोधी कानून के लागू हो जाने के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इस कानून के तहत निरर्हित संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य उस दशा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र हैं जब उनकी निरर्हता के विरुद्ध उनकी अपील न्यायालय में लंबित हो। 1987 में पंजाब विधान सभा के 22 सदस्यों को अध्यक्ष ने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह कर दिया था। उनकी विशेष अनुमति याचिका के विचारण के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई, 1987 के अपने अन्तरिम आदेश में यह निर्णय दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निरर्हित सदस्य मतदान में उस प्रकार भाग लेंगे और अपना मत देने के हकदार होंगे जैसे कि वे निरर्ह न हुए हों। आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जून, 1987 के आदेश के द्वारा यह निर्णय दिया कि मतदान में भाग लेने में उम्मीदवारों के नामांकनों का प्रस्ताव और समर्थन करना शामिल है। न्यायालय ने इंगित किया कि इन सदस्यों द्वारा डाले गए मतों पर अलग से निशान लगाया जाना चाहिए और गिनती करने के बाद मामले के अंतिम निपटान तक अलग से रखा जाना चाहिए।

[सरदार प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम भारत संघ जेटी 1987 (2) एससी 397]

विधान सभा भंग होने से निर्वाचकगण में हुई रिक्ति

15 मार्च, 1974 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा गुजरात विधान सभा को भंग कर दिया गया। प्रश्न यह उठा कि विधान सभा के अस्तित्व में न रहने पर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन वैध है या नहीं। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या 24 अगस्त, 1974 को राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, इस तथ्य के होते हुए कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी, पदावधि के समाप्त होने से पहले ही हो जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपनी राय दी कि राष्ट्रपति की पदावधि निर्धारित है। पदावधि समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समाप्त हो जाने से पहले किया जाना चाहिए था। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 54 के सार के साथ-साथ इसका कार्यक्षेत्र मात्र राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचकों हेतु अपेक्षित अर्हताएं विहित करना है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी। भंग किए जाने के परिणामस्वरूप, उस राज्य में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे। यह विषय या तो राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर चुनाव रोकने अथवा करवाने अथवा यह सुझाव देने कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन राज्य की विधान सभा जिसकी विधान सभा भंग थी, के चुनाव के बाद हो सकता है, का आधार नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने राय व्यक्त की कि राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधान सभा भंग थी, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।

[राष्ट्रपतीय निर्वाचन 1974, एआईआर 1974 एससी 1682 के संदर्भ में]

रोचक तथ्य

- **उच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्वाचकों के निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशों पर रोक लगाई गयी:** 1987 में हुए नौवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन के दौरान निर्वाचकगण के पांच सदस्य-आंध्र प्रदेश विधान सभा के दो और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब विधान सभा प्रत्येक के एक-एक सदस्य अपना मत डालने के हकदार नहीं थे क्योंकि संबंधित उच्च न्यायालयों ने उनके चुनावों को शून्य घोषित कर दिया था परंतु उच्च न्यायालयों के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
- **रेडियो/टेलीविज़न पर प्रसारण सुविधाएं:** 1987 में हुए नौवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन के दौरान चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार श्री मिथलेश कुमार सिन्हा ने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1977 में आयोग के परामर्श से बनाई गई योजना के अंतर्गत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रेडियो/टेलीविज़न पर ऐसे प्रसारण की सुविधाएं दी गई हैं। तथापि, अन्य निर्वचनों के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। एक और अभ्यर्थी श्री वी.आर. कृष्णा अय्यर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) से अनुरोध किया था कि चुनाव लड़ रहे तीन अभ्यर्थियों को आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए परंतु सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया और तदनुसार किसी भी अभ्यर्थी को रेडियो/टेलीविज़न पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई।

अनुबंध एक

भारत के राष्ट्रपति

भारत की संसद के कार्यकाल के पिछले पैंसठ वर्षों में भारत में पन्द्रह[17] राष्ट्रपतियों ने कार्य किया

1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	(26 जनवरी 1950–13 मई 1962)
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(13 मई 1962–13 मई 1967)
3.	डॉ. जाकिर हुसैन	(13 मई 1967–3 मई 1969)
4.	श्री वी.वी. गिरि	[3 मई 1969–20 जुलाई 1969 (कार्यवाहक) (24 अगस्त 1969–24 अगस्त 1974)]
5.	श्री एम. हिदायतुल्लाह	[20 जुलाई 1969–24 अगस्त 1969 (कार्यवाहक)]
6.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद	(24 अगस्त 1974–11 फरवरी 1977)
7.	श्री बी.डी. जत्ती	[11 फरवरी 1977–25 जुलाई 1977 (कार्यवाहक)]
8.	श्री नीलम संजीव रेड्डी	(25 जुलाई 1977–25 जुलाई 1982)
9.	ज्ञानी जैल सिंह	(25 जुलाई 1982–25 जुलाई 1987)
10.	श्री आर. वेंकटरमण	(25 जुलाई 1987–25 जुलाई 1992)
11.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	(25 जुलाई 1992–25 जुलाई 1997)
12.	श्री के.आर. नारायणन	(25 जुलाई 1997–25 जुलाई 2002)
13.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(25 जुलाई 2002–25 जुलाई 2007)
14.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील	(25 जुलाई 2007–25 जुलाई 2012)
15.	श्री प्रणब मुखर्जी	(25 जुलाई 2012 से अब तक)

डॉ. जाकिर हुसैन और डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद जिनका निधन क्रमशः 3 मई, 1969 और 11 फरवरी, 1977 को उनकी पदावधि के दौरान हो गया था, को छोड़कर सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया।

[17]पन्द्रह राष्ट्रपतियों की सूची में दो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी शामिल हैं।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(2) के उपबंधों के अनुसार राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण[18]

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा स्थानों की संख्या (निर्वाचित)	(1971 की जनगणनानुसार) जनसंख्या	विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य	राज्यों के मतों का कुल मूल्य
1.	आंध्र प्रदेश	175	27800586	159	159×175 = 27825
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	467511	8	008×060 = 480
3.	असम	126	14625152	116	116×126 = 14616
4.	बिहार	243	42126236	173	173×243 = 42039
5.	छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129×090 = 11610
6.	गोवा	40	795120	20	020×040 = 800
7.	गुजरात	182	26697475	147	147×182 = 26754
8.	हरियाणा	90	10036808	112	112×090 = 10080
9.	हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051×068 = 3468
10.	जम्मू और कश्मीर[19]	87	6300000	72	072×087 = 6264
11.	झारखंड	81	14227133	176	176×081 = 14256
12.	कर्नाटक	224	29299014	131	131×224 = 29344
13.	केरल	140	21347375	152	152×140 = 21280
14.	मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131×230 = 30130
15.	महाराष्ट्र	288	50412235	175	175×288 = 50400
16.	मणिपुर	60	1072753	18	018×060 = 1080
17.	मेघालय	60	1011699	17	017×060 = 1020
18.	मिजोरम	40	332390	8	008×040 = 320
19.	नागालैंड	60	516449	9	009×060 = 540
20.	ओडिशा	147	21944615	149	149×147 = 21903
21.	पंजाब	117	13551060	116	116×117 = 13572
22.	राजस्थान	200	25765806	129	129×200 = 25800
23.	सिक्किम	32	209843	7	007×032 = 224
24.	तमिलनाडु	234	41199168	176	176×234 = 41184
25.	तेलंगाना	119	15702122	132	132×119 = 15708
26.	त्रिपुरा	60	1556342	26	026×060 = 1560
27.	उत्तराखंड	70	4491239	64	064×070 = 4480
28.	उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208×403 = 83824
29.	पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151×294 = 44394
30.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	70	4065698	58	058×070 = 4060
31.	पुडुचेरी	30	471707	16	016×030 = 480
	कुल	4120	549302005		= 549495

[18]भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 2017; भारत निर्वाचन आयोग।
[19]संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश।

संसद सदस्यों के उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्रीमती कल्पना शर्मा, संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता खन्ना, निदेशक की निगरानी में श्रीमती रचना शर्मा, अपर निदेशक और श्रीमती रश्मि कपूर, संयुक्त निदेशक द्वारा तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक सुश्री उषा जैन, अपर निदेशक, श्री अजीत सिंह यादव के मार्गनिर्देशन में संयुक्त निदेशक, श्री विजय के. अस्थाना और संपादक श्रीमती निशा शर्मा, श्री महेन्द्र सिंह, श्री बसन्त प्रसाद और श्रीमती सुनीता उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया। यह पृष्ठाधार सहायक सामग्री है। फीडबैक का स्वागत है और इसे refdiv-lss@sansad.nic.in पर भेजा जा सकता है।